

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एस्ते/डीईएस/सां.नि./अग्रिम अध्ययन/2021/ 634

दिनांक:- 30-3-21

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की स्वीकृति उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निधारित शर्तों के अध्ययधीन निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

क.सं.	नाम कर्मचारी (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापित विभाग/कार्यालय	परीक्षा जिसमें कर्मचारी बैठना चाहता है।
1.	मीना मीणा	मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर	एम.ए.फाईनल (इकोनोमिक्स)
2.	यशवन्त मीणा	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, प्रतापगढ	स्कूल व्याख्याता (इतिहास) यूजीसी नेट परीक्षा 2021
3.	तनुज कुमार	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, नगर, भरतपुर	यू.जी.सी. नेट परीक्षा एवं उपनिरीक्षक पुलिस 2021
4.	संध्या वर्मा	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, झालारापाटन	एनटीए नेट 2021, सहायक व्याख्याता
5.	राजेन्द्र चौधरी	शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर	सहायक वन संरक्षक परीक्षा, शोध प्रवेश परीक्षा 2020 (रेट, एमएलएसयू), सहायक आर्चाय परीक्षा 2020 आरपीएससी
6.	हेमलता	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, श्रीकरनपुर	नेट, कॉलेज व्याख्याता (सहायक आर्चाय)
7.	प्रहलाद मीना	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, बयाना	सहायक वन संरक्षक भर्ती एवं फोरेस्ट रेज ऑफिसर भर्ती 2018
8.	आशा सामरिया	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर	एम.ए.फाईनल (इकोनोमिक्स)
9.	लोकेश टोगस	सहायक निदेशक, आ0 एवं सां0, नागौर	पीजी डीपलोमा लेबर लॉ आईआर एवं पीएम (वीएमओयू)
10.	लक्ष्मीलाल मेधवाल	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, बडगाँव, उदयपुर	असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज शिक्षा), एबीएसटी
11.	सरोज मीना	सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर	असिस्टेंट प्रोफेसर 2020
12.	सुरेन्द्र कुमार	आयोजना (परीवीक्षण) सचिवालय, जयपुर	असिस्टेंट प्रोफेसर 2020-21
13.	कृष्ण गोपाल सिंह शेखावत	उप निदेशक, आ0 एवं सां0, अजमेर	एम0ए0, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020
14.	ममता मीणा	औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर	एल0एल0बी0 कोर्स
15.	जगतार सिंह	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, घडसाना, श्रीगंगानगर	सहायक आर्चाय (कालेज शिक्षा)
16.	विमल कुमार वर्मा	ब्लाक सांख्यिकी कार्यालय, दूदू, जयपुर	सहायक आर्चाय (कालेज शिक्षा) 2021

राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 के द्वारा निधारित शर्तों:-

- राजसेवक का शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
- राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- प्रत्येक वर्ष/परीक्षा के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी।


4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगी।
6. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन के कारण राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
8. अध्ययन संस्थान में राजसेवक की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग की किसी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
10. विभाग द्वारा प्रशासनिक कारणों से अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

उपरोक्त कार्मिकों को उक्त शर्तों के अध्ययधीन निर्देशित किया जाता है कि अध्ययन/परीक्षा में भाग लेने की दी गई अनुमति की विभाग द्वारा समीक्षा एवं उनके शिक्षण संस्थानों से उनके अध्ययन एवं संस्थान में उनकी उपस्थिति इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जावेगी। यदि कार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के अनिवार्य वांछित शर्तों के साथ-साथ अध्ययन की स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री/प्रमाण-पत्र को अभिलेख पर नहीं लिया जावेगा और अपचारी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।


(मिसाराम प्रजापत)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ✓ 1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. सम्बन्धित विभाग
3. सम्बन्धित कर्मचारी श्री
4. रक्षित पत्रावली।


(सुभाष चन्द्र शर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)